न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001002008</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-202/09</u> <u>संस्थापित दिनांक-31.10.09</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वार	π :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी	जिला अशोकनगर।
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—रामबहादुरसिह	पुत्र हरनामसिह ठाकुर आयु 27 वर्ष
निवासी ग्राम वारी, चंदेरी	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री आर एस यादव अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 28.10.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 456 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रिजवाना ने दिनांक 16.10.08 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 14.10.08 को 20:00 बजे ग्राम वारी फरियादी के मकान पर फरियादी घर पर अकेली थी तब आरोपी घर में घुस आया और चार पाई पर बैठ गया तथा बुरी नियत से उसे पकड कर चेट गया। फरियादी के अनुसार उसके चिल्लाने पर उसके ससुर आ गये और आरोपी भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 353/08 के अंतर्गत भादिव की धारा 354, 456 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 456 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.10.08 को 20:00 बजे ग्राम बारी में प्रार्थी में प्रार्थी रिजवाना के आवासीय गृह में लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया
- 2. आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी रिजवाना जो कि स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी छाती दबाकर आपराधिक वल का प्रयोग किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ. सा. 01 रिजवाना, अ.सा.2 नत्थू, अ.सा.3 भगवानदास, अ.सा.4 वैजनाथसिह, अ.सा.5 इस्माल खां की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 रिजवाना ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने घर पर सो रही थी तब आरोपी ने हाथ डालकर उसके घर का किवाड खोल लिया था और सोते में आकर उससे लिपट गया था, इससे वह घवराकर चिल्लाई तो उसके ससुर आ गये थे। उक्त साक्षी ने अपने कथन मे बताया है कि आरोपी उससे लिपटा लिपटी कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुंसार आरोपी गलत नियत से आया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी भैंस ने आरोपी के खेत का नुकसान किया था और फसल खराब की थी। अ.सा.1 के अनुसार आरोपी ने हाथ डालकर किबाड खोल लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके ससुर ने आरोपी को नही देखा क्योंकि वह दोडकर भाग गया था।

08— अ.सा.2 नत्थू ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी रात्रि में मकान के अंदर घुस गया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह घटना के समय मौके पर नहीं था। अ.सा.3 भगवानदास ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को फरियादिया ने उसे कक्का कक्का की आवाज लगाई थी और बोली थी कि घर में कोई घुस गया है। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी ने आरोपी के बारे में नहीं बताया था। अ.सा.5 इस्लाम खां ने अपने कथन में बताया है कि घटना के समय घर पर नहीं था जब वह लौटकर आया तब फरियादी ने उसे बताया था कि आरोपी ने आकर उसका हाथ पकड लिया था फिर वह चिल्लाई तो आरोपी भाग गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है उसने तथा उसके पित ने आरोपी की झूंठी रिपोर्ट की है।

09— अ.सा.४ वैजनाथसिह ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण

में नक्सा मौका तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को मामले मे गिरप्तार भी किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने संपूर्ण विवेचना थाने मे बैठकर की है।

- 10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.2, अ.सा.3 घटना के समय उपस्थित थे किंतु वे आरेगपी को देख नहीं पाए। अ.सा.2 एवं 03 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादिया की घर मे रात्रि में कोई व्यक्ति घुसा था। इस अ. सा.2 एवं 03 की साक्ष्य से अ.सा.1 की साक्ष्य का अनुसर्मथन हो रहा है कि रात्रि में कोई व्यक्ति फरियादिया के घर में घुसा था। उल्लेखनीय है कि फरियादिया ने अपने कथन मे यह बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी को सिर्फ उसने देखा था तथा उसके ससुर अ.सा.2 भी नहीं देख पाए थे क्योंकि उसके ससुर के आने तक आरोपी दौडकर भाग गया था। अ.सा.5 जो कि अ.सा.1 का पति है वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था तथा उसने सुनी सुनाई साक्ष्य के आधार पर कथन किया है। किंतु अ.सा.5 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूंठा मामला बनाया गया है। अ.सा.5 ने अपने कथनों में जो बाते बताई है वे अ.सा.1 की साक्ष्य के अनुरूप है तथा अ.सा.5 की साक्ष्य से अ.सा.1 की साक्ष्य क अनुरूप है तथा अ.सा.5 की साक्ष्य से अ.सा.1 की साक्ष्य क अनुरूप है तथा अ.सा.5 की साक्ष्य से अ.सा.1 की साक्ष्य क अनुरूप है तथा अ.सा.5 की साक्ष्य से अ.सा.1 की साक्ष्य क अनुरूप होता है।
- 11— अ.सा.1 जो कि मामले में फरियादी है ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी बुरी नियत से उसके पास आया था तथा आरोपी ने उसके साथ लिपटा लिपटी की थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 की साक्ष्य अखंण्डनीय रही है तथा अ.स.1 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा मामले में झूंठी कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर

प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्व ारा मामले में झूंठी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार प्रकरण में फरियादिया अ.सा.1 की साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादिया के घर में घुसा था तथा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक वल का प्रयोग किया था।

- 12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 456, 354 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 13— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग–01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी

पुनश्च:-

14— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर एस यादव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपी ने उक्त अपराध एक महिला के विरूद्ध कारित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ

दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

- 15— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी महिला के साथ कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 456, के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 354 के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास भोगेंगा। उचित का अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। उक्त दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।
- 16— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 17- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 18— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे। 19—

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल) (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी